(32)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर 20/2018 प्रा.पत्र/2018 जीसीएमएस नं0 41/2018	तारीख दायरा 03.04.2018	तारीख निर्णय 09.01.2026

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री वसीम मोहम्मद पुत्र श्री महमूद खान जाति मुस्लिम निवासी सैयदों की मस्जिद के सामने काफला बाजार टोंक जिला टोंक मैसर्स इण्डियन किराणा स्टोर मछली मार्केट काफला बाजार टोंक जिला टोंक।

2–मैसर्स इण्डियन किराणा स्टोर मछली मार्केट काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज.।

3–श्री मीठालाल जैन निवासी बडा कुंआ, शार्गीद पेशा, टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स राजूलाल मीठालाल जैन मोतीबाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.।

4–मैसर्स राजूलाल मीठालाल जैन मोतीबाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.।

5–श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री महादेव शर्मा निवासी 29 ओल्ड पलासिया एबी रोड इन्दौर मध्यप्रदेश पिनकोड–452001 डायरेक्टर मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज एफ 879 ए, भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया जयपुर राज.।

6–श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री हनुमान सहाय यादव निवासी 9/529, चित्रकोट योजना, सैक्टर–9, वार्ड नं. 13, जयपुर राज. प्रबंधक मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज एफ 879 ए, भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर राज.।

7–मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज एफ 879 ए, भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया, जयपुर राज.।

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 श्री जितेन्द्र टाटावत एड.
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 ता 7 श्री भानूप्रताप सिंह उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 09.1.26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.10.2017 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स इण्डियन किराणा स्टोर मछली मार्केट काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री वसीम मोहम्मद पुत्र श्री महमूद खान अपने प्रतिष्ठान मैसर्स इण्डियन किराणा स्टोर मछली मार्केट काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री वसीम मोहम्मद पुत्र श्री महमूद खान को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री वसीम मोहम्मद पुत्र श्री महमूद खान ने स्वयं को प्रतिष्ठान का

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रैक में लगभग 12 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 1 लीटर पैक **रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (महाकोष ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री वसीम मोहम्मद पुत्र श्री महमूद खान को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री वसीम मोहम्मद पुत्र श्री महमूद खान व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की रैक में रखे **रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (महाकोष ब्राण्ड)** जिसके बैंच नम्बर केडी–09 एवं पैंकिग की दिनांक सितम्बर 2017 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1–1 लीटर पैक के 4 नग मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (महाकोष ब्राण्ड)** 1 लीटर पैक के 4 नग मूल पैक में से एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1802 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1802 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(100)

विक्रेता श्री वसीम मोहम्मद पुत्र श्री महमूद खान मैसर्स इण्डियन किराणा स्टोर मछली मार्केट काफला बाजार टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स राजूलाल मीठालाल जैन मोतीबाग रोड बडा कुंआ टोंक जिला टोंक का बिल प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा मैसर्स राजूलाल मीठालाल जैन से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज एफ 879 ए, भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं. 14, वीकेआई एरिया जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/17/4776 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/773/एक्ट/2017/773 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (महाकोष ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए। अभिभाषक ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (महाकोष ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन ऑयल (महाकोष ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 7 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

संख्या 5 ता 7 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.1.24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज